

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 5156386
ग्रा0वि0-6-बजट/05-01/2025

पटना, दिनांक 05/02/26

प्रेषक,

मन्जु प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-42 के तहत सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत संशोधित कुल बजट उपबंधित राशि रू0 12500.00 लाख (एक अरब पचीस करोड़) में से पूर्व में आवंटित राशि रू0 9000.00 लाख (नब्बे करोड़) के अतिरिक्त राशि रू0 3500.00 लाख (पैंतीस करोड़) के आवंटन के संबंध में ।
विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-5146893 दिनांक-03.02.2026

प्रसंग:-
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-5146893 दिनांक-03.02.2026 द्वारा राज्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-42 के तहत सतत् जीविकोपार्जन योजना संशोधित कुल बजट उपबंधित राशि रू0 12500.00 लाख (एक अरब पचीस करोड़) में से पूर्व में आवंटित राशि रू0 9000.00 लाख (नब्बे करोड़) के अतिरिक्त राशि रू0 3500.00 लाख (पैंतीस करोड़) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है । स्वीकृत राशि रू0 3500.00 लाख (पैंतीस करोड़) का आवंटन जीविका को किया जाता है ।

2. आवंटित राशि की निकासी विभागीय माँग सं०-42 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-102-सामुदायिक विकास, उप शीर्ष-0119-सतत जीविकोपार्जन योजना, विपत्र कोड 42-2515001020119, 3106 सहायक अनुदान गैर वेतन (सामुदायिक विकास मद) के अंतर्गत विकलनीय है।


3. आवंटित राशि की निकासी ग्रामीण विकास विभाग के अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी । निकासी की गयी राशि Bihar Rural Livelihoods Promotion Society, BRLPS-SJY, Indian Bank, Account No.6719021284, IFSC Code-IDIB000N087, Vidhyut Bhawan, Bailey Road, Patna, Bihar के बैंक खाते में उपलब्ध करायेंगे । मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक, बी0आर0एल0पी0एस0, विद्युत भवन, पटना इस राशि का व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विभाग को उपलब्ध कराएँगे।

4. वित्त विभाग के परिपत्र सं0- 2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राशि व्यय की जायेगी ।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।


6. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन


(मन्जु प्रसाद)


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5156386 पटना, दिनांक 05/02/26
प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5156386 पटना, दिनांक 05/02/26
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार (सिंचाई भवन), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।




सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5156386 पटना, दिनांक 05/02/26
प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना / आई०टी०मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) / विभागीय लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5156386 पटना, दिनांक 05/02/26
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के वरीय प्रधान आप्त सचिव/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव